



हर कदम, हर छज
किसानों का हमसफर
कसबि कस अनुसंधान कसि

Agrésearch with a human touch

भा.कृ.अनु.प.-केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान
क्षेत्रीय केन्द्र, मोदीपुरम, मेरठ-250110, उ.प्र.।

Phone (0121) 2575497, Fax (0121) 2576584; E-mail : cpric.modipuram@gmail.com;
Website - <http://cpric.res.in>



नीलामी सूचना

प्रजनक (ब्रीडर) एवं प्रायोगिक (एक्सपेरिमेंटल) बीज आलू

इस केन्द्र पर लगभग 800 कुन्तल प्रायोगिक आलू बीज और लगभग 3450 कुन्तल आलू प्रजनक (ब्रीडर) बीज की अवर्गीकृत काट, छरीं, ओवर साइज आदि की नीलामी दिनांक 16 एवं 17 अप्रैल, 2019 को जैसा है जहां है, के आधार पर छोटे-छोटे ढेरों (lots) में निम्नानुसार होगी-

क सं०	प्रक्षेत्र का नाम	नीलामी की तिथि व समय	अनुमानित बीज की मात्रा	धरोहर राशि
1.	मोदीपुरम एवं पाबली	16 अप्रैल, 2019 प्रातः 10.30 बजे के बाद	बीज आलू की काट, छरीं व ओवर साइज । लगभग 800 कुन्तल प्रायोगिक बीज लगभग 450. कुन्तल प्रजनक (ब्रीडर) बीज	रु० 10,000/-
2.	मछरी	17 अप्रैल, 2019 प्रातः 10.30 बजे के बाद	प्रजनक (ब्रीडर) बीज की अवर्गीकृत काट, छरीं व ओवर साइज । लगभग 3000 कुन्तल	रु० 10,000/-

पंजीकरण राशि उक्त तिथियों में केवल मोदीपुरम प्रक्षेत्र पर सुबह 8.30 बजे से 10.00 बजे के बीच जमा की जायेगी । पंजीकरण केवल मोदीपुरम केन्द्र पर ही होगा। नीलामी की शर्तें मौके पर ही बता दी जायेगी । नीलामी छूटने पर बीज आलू का भुगतान के डिजिटल माध्यम को प्राथमिकता दी जायगी। नीलामी के दिन किसी भी दशा में बीज आलू नहीं उठेगा । विस्तृत जानकारी संस्थान की वैबसाइट <http://cpri.icar.gov.in> व केन्द्र की वैबसाइट <http://cpric.res.in> पर उपलब्ध है।

नोट :

1. असफल बोलीदाताओं की धरोहर राशि नीलामी समाप्त होने के बाद वापिस कर दी जायेगी। सफल बोलीदाताओं की धरोहर राशि 25 प्रतिशत अग्रिम धनराशि जमा करने के बाद ही वापस की जायेगी।

इच्छुक कृषकगण पधार कर लाभ उठायें ।

संयुक्त निदेशक
OK

(मोदीपुरम एवं पाबली प्रक्षेत्र)

दिनांक 16 अप्रैल, 2019 को मोदीपुरम एवं पाबली प्रक्षेत्र पर आलू प्रयोगात्मक एवं प्रजनक बीज आलू की होने वाली नीलामी की नियम व शर्तें -

1. प्रत्येक बोली लगाने वाले को रजिस्ट्रेशन कराने हेतु रु0 10000/- (रु0 दस हजार मात्र) धरोहर राशि के रूप में जमा करने होंगे। बिना धरोहर राशि जमा कराये बोली बोलने का अधिकार नहीं होगा।
2. जिस व्यक्ति की बोली स्वीकार की जायेगी उसे ढेर की अनुमानित लागत का 25 प्रतिशत धन तुरन्त जमा करना होगा अन्यथा बोली मान्य नहीं होगी।
3. आलू की बोली छुटने के दिनांक से दो दिन के अन्दर पूर्ण भुगतान करके आलू उठाना होगा अन्यथा बिना किसी पूर्व सूचना के वह ढेर किसी और व्यक्ति को बेच दिया जायेगा और 25 प्रतिशत अग्रिम धनराशि जब्त कर ली जायेगी। धनराशि ऑन-लाइन ट्रांसफर या कार्य दिवसों में मोदीपुरम स्थित कार्यालय में पी.ओ.एस. मशीन द्वारा प्राप्त किया जायेगा।
4. बोलीदाता को टैग न0 से ही बोली लगानी होगी तथा जिस टैग न0 पर बोली छूटेगी उसे ढेर की कीमत का 25 प्रतिशत धन जमा करने के बाद ही अगले ढेर की बोली लगाने का अधिकारी होगा।
5. बोली प्रति कुन्तल के हिसाब से लगानी होगी। पचास रुपये से कम बढ़त की बोली मान्य नहीं होगी।
6. फार्म से कोई लेबर/बारदाना नहीं दिया जायेगा।
7. ढेर से केवल गला/सड़ा आलू ही निकालने दिया जायेगा। यदि वह 10 प्रतिशत से अधिक होगा।
8. किसी भी एक बोली या समस्त नीलामी को रद्द करने का अधोहस्ताक्षरी को पूर्ण अधिकार होगा।
9. बोली लगाने हेतु जमा धनराशि नीलामी समाप्त होने के पश्चात् असफल बोलीदाताओं को वापस कर दी जायेगी।
10. समिति को हक होगा कि वह सरकारी बोली से कम कीमत आये ढेरों की नीलामी रद्द करके आगे बोली शुरु कराये।
11. मण्डी शुल्क या अन्य कोई सरकारी देय यदि होगा तो उसकी देनदारी बोलीदाता की होगी।
12. अन्य शर्तें, यदि कोई होगी तो नीलामी के समय बता दी जायेगी।

संयुक्त निदेशक

(मछरी प्रक्षेत्र)

दिनांक 17 अप्रैल, 2019 को मछरी प्रक्षेत्र पर प्रजनक बीज आलू की होने वाली नीलामी की नियम व शर्तें -

1. प्रत्येक बोली लगाने वाले को रजिस्ट्रेशन कराने हेतु रु0 10,000/- (रु0 दस हजार मात्र) धरोहर राशि के रूप में जमा करने होंगे। बिना धरोहर राशि जमा कराये बोली बोलने का अधिकार नहीं होगा।
2. जिस व्यक्ति की बोली स्वीकार की जायेगी उसे ढेर की अनुमानित लागत का 25 प्रतिशत धन तुरन्त जमा करना होगा अन्यथा बोली मान्य नहीं होगी।
3. आलू की बोली छुटने के दिनांक से दो दिन के अन्दर पूर्ण भुगतान करके आलू उठाना होगा अन्यथा बिना किसी पूर्व सूचना के वह ढेर किसी और व्यक्ति को बेच दिया जायेगा और 25 प्रतिशत अग्रिम धनराशि जब्त कर ली जायेगी। धनराशि ऑन-लाइन ट्रांसफर या कार्य दिवसों में मोदीपुरम स्थित कार्यालय में पी.ओ.एस. मशीन द्वारा प्राप्त किया जायेगा।
4. बोलीदाता को टैग न0 से ही बोली लगानी होगी तथा जिस टैग न0 पर बोली छूटेगी उसे ढेर की कीमत का 25 प्रतिशत धन जमा करने के बाद ही अगले ढेर की बोली लगाने का अधिकारी होगा।
5. बोली प्रति कुन्तल के हिसाब से लगानी होगी। पचास रुपये से कम बढ़त की बोली मान्य नहीं होगी।
6. फार्म से कोई लेबर/बारदाना नहीं दिया जायेगा।
7. ढेर से केवल गला/सड़ा आलू ही निकालने दिया जायेगा। यदि वह 10 प्रतिशत से अधिक होगा।
8. किसी भी एक बोली या समस्त नीलामी को रद्द करने का अधोहस्ताक्षरी को पूर्ण अधिकार होगा।
9. बोली लगाने हेतु जमा धनराशि नीलामी समाप्त होने के पश्चात् असफल बोलीदाताओं को वापस कर दी जायेगी।
10. समिति को हक होगा कि वह सरकारी बोली से कम कीमत आये ढेरों की नीलामी रद्द करके आगे बोली शुरू कराये।
11. मण्डी शुल्क या अन्य कोई सरकारी देय यदि होगा तो उसकी देनदारी बोलीदाता की होगी।
12. अन्य शर्तें, यदि कोई होगी तो नीलामी के समय बता दी जायेगी।

संयुक्त निदेशक